छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2009

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009

विषय–सूची

खण्ड क्र.	शीर्षक		पृष्ठ क्र.
1.	प्रस्तावना	:	1–3
2.	मानव संसाधन एवं उनका विकास	:	4–7
3.	आयोग के कृत्य, कार्यवाहियाँ, शक्तियाँ एवं उसकी कार्यप्रणाली	:	8–11
4.	राज्य सलाहकार समिति	:	12–13
5.	वर्ष 2007 एवं 2008 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण	:	14–19
6.	आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण	:	20–21
	<u>परिशिष्ट</u>		
	वित्तीय वर्ष 2008–09 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण, लेखा संपरीक्षा प्रमाण पत्र तथा प्रतिवेदन	:	22–42

खण्ड–1

प्रस्तावना

1.1 उद्देशिका (मिशन स्टेटमेंट)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अनुसरण में किया गया है। आयोग उक्त अधिनियम तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति एवं टैरिफ नीति में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करता है। आयोग का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत, जो कि विकास का एक अति महत्वपूर्ण घटक है, वाणिज्यिक नीति पर आधारित होते हुए भी, ऐसे मूल्य पर उपलब्ध हो जो जन–साधारण की पहुँच में हो। आयोग राज्य में विद्युत के क्षेत्र में सुधार हेतु ऐसे दिशा–निर्देश एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु क्रियाशील है जिनसे दक्षता, मितव्ययिता, प्रतिस्पर्धा का संवर्धन हो एवं उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो। अपने कार्य को संपन्न करने हेतु आयोग, इस विषय से संबंधित समस्त व्यक्तियों विशेषतः उपभोक्ताओं की भागीदारी प्राप्त करने के प्रति सदा–सर्वदा सजग है। आयोग, राज्य में ऐसे विनियमित परिवेश की स्थापना करने हेतु प्रयत्नशील है जिससे प्रदेश में विद्यमान ताप–विद्युत एवं जल–विद्युत तथा विद्युत के नवीन तथा अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों की प्रचुर संभावनाओं का समुचित दोहन करने के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिले तथा साथ ही साथ पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी न हो।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में आयोग को सौंपे गये विभिन्न कार्यो का निर्वहन करने के अनुक्रम में वर्ष 2009 में भी आयोग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विनियम बनाए गए तथा याचिकाओं का निराकरण किया गया। प्रतिवेदित वर्ष (2009) में आयोग द्वारा किये गए उपरोक्त कार्यों तथा अन्य कार्यों का संक्षिप्त वर्णन प्रतिवेदन में किया गया है।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन) नियम 2005 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में आयोग की गतिविधियों का विवरण आगामी वर्ष में आयोग द्वारा तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। विद्युत अधिनियम की धारा 104(4) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षित वार्षिक लेखे एवं लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन भी आयोग द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है। उक्त दोनों प्रतिवेदन तथा संपरीक्षित वार्षिक लेखे राज्य शासन द्वारा विधान–सभा के पटल पर रखे जाते हैं। इस प्रतिवेदन में आयोग का वर्ष 2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008–09 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत हैं।

1.2 आयोग की स्थापना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशंस एक्ट 1998 एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 82 में निहित प्रावधानों के अधीन अधिसूचना क्रमाँक 3190/S/E/2002/ दिनाँक 23/08/2002 सहपठित अधिसूचना क्रमाँक 432/R/352 दिनाँक 11/05/2004 के द्वारा किया गया। राज्य शासन के आदेश क्रमांक F-1/38/2004/13/1 दिनाँक 10/06/2004 के द्वारा आयोग में श्री एस. के. मिश्र, अध्यक्ष तथा श्री शरत चंद्र, सदस्य के पदों पर नियुक्त किये गये। अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष आयोग के मुख्य कार्यपालक होते हैं। आयोग में नियुक्ति के पूर्व श्री एस.के. मिश्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त), छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव के पद पर सेवारत थे तथा श्री शरत चंद्र छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में सचिव तथा सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद पर लगभग सवा दो साल सेवाएँ देकर सेवानिवृत्त हुए थे। अध्यक्ष एवं सदस्य द्वारा दिनाँक 01 जुलाई, 2004 को पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के पश्चात् आयोग में अपना पद भार संभाला गया। श्री एस.के. मिश्र, अध्यक्ष दिनांक 30/06/2009 को आयोग में अपना कार्यकाल पूर्ण कर कार्यमुक्त हुये। राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ–1–7/13/1/2007, रायपुर, दिनांक 29/06/2009 के द्वारा आयोग के अध्यक्ष के पद पर श्री मनोज डे की नियुक्ति की गई। श्री शरद चंद्र, सदस्य दिनांक 22/03/2008 को आयोग में अपना कार्यकाल पूर्ण कर कार्यमुक्त हुये। राज्य शासन के अधिसूचना क्रमांक एफ–1–7/13/1/2007, रायपुर, दिनांक 19/03/2008 के द्वारा आयोग के सदस्य के पद पर श्री बी.के. शर्मा की नियुक्ति की गई। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्य का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः–

<u>श्री मनोज डे (अध्यक्ष)</u>

श्री मनोज डे ने शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, रायपुर से वर्ष 1970 में विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आपने मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में अप्रैल 1971 से विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ प्रदान की तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में मुख्य अभियंता, सचिव एवं सदस्य के पद तक पहुँचे। श्री डे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद से दिसम्बर 2007 में सेवानिवृत्त हुए, इस अवधि में कार्यो की गुणवत्ता के उन्नयन, अधिकतम श्रमशक्ति का सदुपयोग, विद्युत क्षमता वृद्धि एवं कार्यों में पारदर्शिता का आपके द्वारा समुचित ध्यान रखा गया। प्रशासनिक अनुभव के अतिरिक्त आप समस्त छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र व विद्युत नेटवर्क के ज्ञाता है। विद्युत मण्डल में विद्युत देयकों SAP sowtware प्रणाली द्वारा process किया जाना, सम्पुर्ण consumer database SAP प्रणाली में Store किया जाना, विद्युत देयक का भुगतान debit card तथा online payment किया जाना, Consumer indexing तथा Hand hold divece द्वारा मीटर रिडिंग (धमतरी शहरी क्षेत्र) में लिया जाने का प्रारंभ श्री मनोज डे के प्रयासों से संभव हुआ। मण्डल में सदस्य के रूप में 1018 करोड की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युती करण योजना को अपने अन्तिमचरण में पहुंचाया। श्री डे इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के सदस्य हैं, वर्ष 2009 में उन्हे उत्कृष्ट सेवाओं के लिए

''इंजीनियर ऑफ द इयर'' का सम्मान प्राप्त हुआ है। 1 जुलाई 2009 से श्री मनोज डे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं।

<u>श्री बी.के. शर्मा (सदस्य)</u>

श्री बी.के. शर्मा ने शासकीय अभियांत्रिकीय महाविद्यालय, रायपुर से वर्ष 1968 में विद्युत अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, आपकी प्रथम नियुक्ति मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के पद पर हुई। आपने म.प्र. विद्युत मण्डल में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएँ प्रदान की तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में मुख्य अभियंता व सदस्य सचिव के पद तक पहुँचे। श्री शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल से सदस्य (पारेषण एवं वितरण) के पद से वर्ष 2005 में सेवानिवृत्त हुए। आपने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विद्युत के पारेषण व वितरण प्रणाली का मास्टर प्लान बना कर क्रियान्वयन किया तथा छ.ग. विद्युत मंडल को नये आयाम तक पहुँचाया। छत्तीसगढ़ के ग्राम्यांचलो से सुपरिचित श्री बी.के. शर्मा का योगदान ग्रामीण विद्युतीकरण एवं सार्थक प्रयासों के लिए एक संवेदनशील अभिंयता के रूप में जाना जाता है। श्री शर्मा, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की छत्तीसगढ़ राज्य इकाई के अध्यक्ष पद पर दो वर्षो तक पदस्थ रहे। श्री बी.के. शर्मा 24 मार्च 2008 से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त हैं।

1.3 आयोग का कार्य स्थल

आयोग का कार्यालय वर्तमान में रायपुर के प्रमुख मार्ग जी.ई.रोड स्थित किराये के भवन में है। आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन से कार्यालय भवन निर्माण हेतु शासकीय भूमि प्रदान करने का निवेदन किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ–4–146/सात–1/06 दिनाँक 13.11.06 के द्वारा आयोग को शांति नगर रायपुर खास प.ह.नं. 106 अ स्थित भूमि खसरा नं. 527 में से 60X40=2400 वर्गमीटर भूमि कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रदान की गई है। आयोग द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया। दिनाँक 01.12.2007 को नवीन कार्यालय भवन का शिलान्यास छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कर कमलों से संपन्न हुआ। भवन का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। भवन के निर्माण में सी.डी.एम. (क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट) के सिद्धांत को अपनाया गया है। प्रदेश में यह अपने प्रकार का ऐसा पहला भवन है। भवन में 80 किलोवॉट क्षमता के सौर–ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है जिस हेतु क्रेडा द्वारा निविदा आमंत्रित की गई हैं। इससे उत्पादित विद्युत, कार्यालयीन उपयोग के पश्चात अतिरिक्त विद्युत ग्रिड में डाली जा सकेगी।

————00000————

खण्ड–2

मानव संसाधन एवं उनका विकास

2.1 आयोग का संगठनात्मक चार्ट :–

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 91 के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त कर आयोग के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आयोग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया। आयोग का वर्तमान संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है :

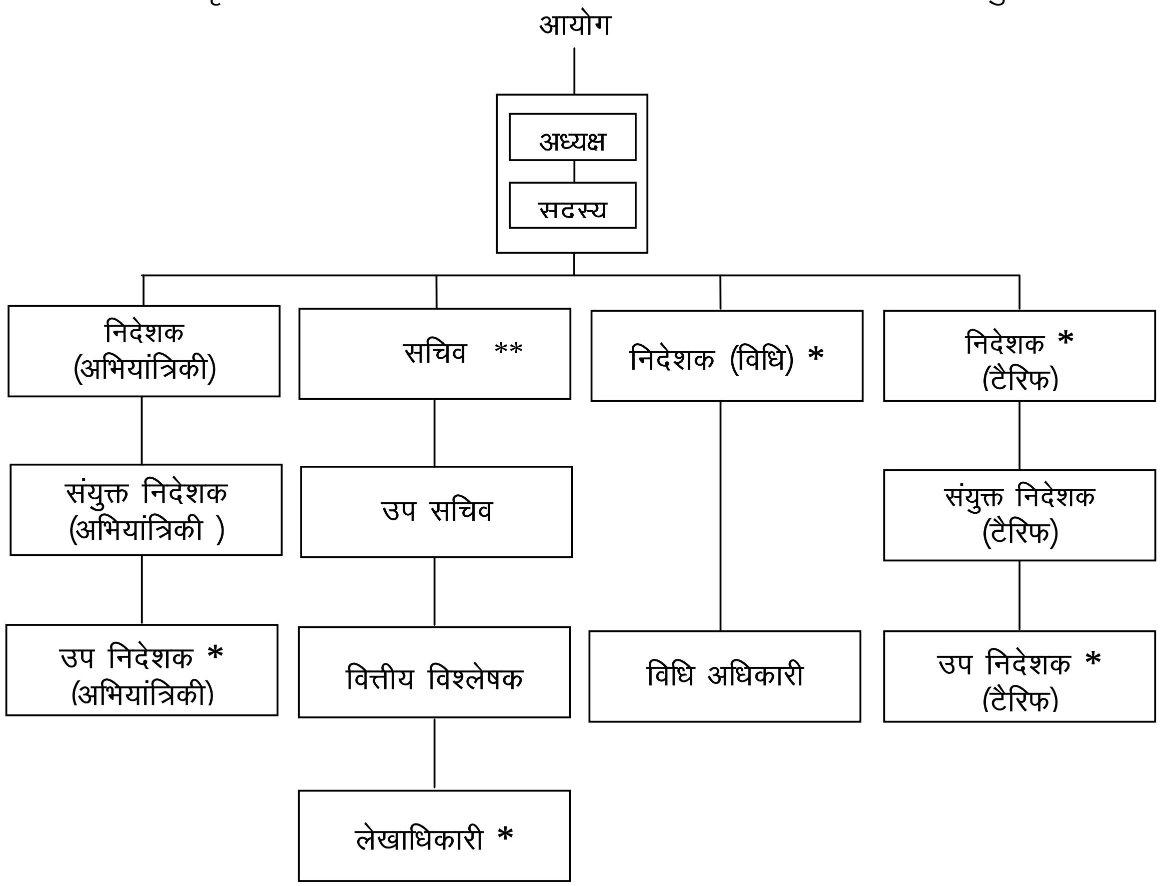

* 31.12.2009 तक की स्थिति में पद रिक्त ।

** 31.12.2009 की स्थिति में सचिव के अतिरिक्त कार्य दायित्व का निर्वहन निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा किया जा रहा है ।

2.2 आयोग में वर्ष 2009 में सेवारत् अधिकारी

सृजित पदों को भरने के उद्देश्य से आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा नियुक्ति द्वारा की गई। वर्ष 2009 में आयोग में निम्नलिखित अधिकारी सेवारत रहे :–

क्रमाँक	नाम	पद	पदभार ग्रहण करने की दिनाँक
1.	श्री डी.के. दीवान	निदेशक (टैरिफ)	04.10.2004 से 03.10.2009 तक
2.	श्री एन. के. रूपवानी	निदेशक (अभियांत्रिकी), सचिव का अतिरिक्त प्रभार 10.10.2005 से	04.10.2005
3.	श्री जी.एस. वर्मा	उप सचिव	11.10.2007
4.	श्री एस.पी. शुक्ला	संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी)	21.10.2004
5.	श्री व्ही.के. अग्रवाल	संयुक्त निदेशक	03.10.2008
6.	श्री सूरोबीन राय	वित्तीय विश्लेषक	06.10.2009
7.	श्री विवेक गनोदवाले	विधि अधिकारी	10.12.2004
8.	श्री एम.ए. मुस्तफा	कनिष्ठ लेखाधिकारी	25.09.2008

1. **श्री डी.के. दीवान, निदेशक (टैरिफ)** :– 1968 में बी.ई. (इलेक्ट्रीकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त श्री डी.के. दीवान, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में स्नातक प्रशिक्षु के रूप में अपनी सेवा आरंभ करके लगभग 35 वर्षों में विभाग की प्रशासनिक सीढ़ियों पर क्रमशः चढ़ते हुए 2004 में मुख्य अभियंता के पद पर आसीन हुए। इस पद पर रहते हुए श्री डी.के. दीवान ने मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी अतिरिक्त रूप से वहन किया। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल और मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग में समय–समय पर आयोजित महत्वपूर्ण सेमीनारों के अतिरिक्त श्री डी.के. दीवान 1994 में, सेनफ्रांसिस्को (अमेरिका) में पर्यावरण प्रभाव पर 1½ माह का विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। दिनांक 03.10.2009 को आयोग में अपनी कार्यावधि पूर्ण करके कार्यमुक्त हुऐ।

2. **श्री एन.के. रूपवानी, निदेशक (अभियांत्रिकी)**:– मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त करने के बाद, मझगांव डॉक्स लिमिटेड, बॉम्बे एवं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कनिष्ठ अभियंता के रूप में लगभग दो वर्ष कार्य करने के उपरान्त 07/03/1974 को मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता के रूप में अपनी सेवा आरंभ की। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल में सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव और मुख्य अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहकर आपने योजना–कार्य, संचालन एवं संधारण और निर्माण कार्यों को नई दिशाएं दी हैं। मंडल के समस्त थर्मल पावर स्टेशन्स के लिए क्षमता आंकलन जैसा महत्वपूर्ण कार्य आपने संपन्न किया था। चौदह वर्षों से लंबित 850 के.व्ही. मिनी हाइडल पावर स्टेशन कोरबा (पश्चिम) को प्रारंभ करना और कोरबा पश्चिम

थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण स्वीकृति जैसे कार्य आपके द्वारा संपन्न कराये गये। विद्युत मण्डल द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं का सकारात्मक हल, वेतन–निर्धारण आदि कार्यों में दक्षता के लिए 15 अगस्त 1996 में आपको उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में आप 10 अक्टूबर 2005 से सचिव का अतिरिक्त प्रभार वहन कर रहे हैं।

3. **श्री जी.एस. वर्मा, उप सचिव** :– बी.ई. (सिविल), एम.आई.ई. (इंडिया), एलएल.बी., एम.ए. (लोक प्रशासन), बेचलर ऑफ जर्नलिजम एण्ड मास कम्यूनिकेशन। मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग में 1969 से 2001 तक विभिन्न पदों पर कार्य करने के उपरान्त 2001 में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, अवर सचिव एवं हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (कुल–सचिव) के रूप में कार्य करने के उपरान्त सितंबर, 2007 में छ.ग. प्रशासन अकादमी से कार्यपालन अभियंता के पद से सेवानिवृत्त। श्री वर्मा इंडियन वाटर रिसोर्सेस सोसायटी (रूड़की विश्वविद्यालय) के सदस्य, वर्ष 1991 से अभियांत्रिकीय महाविद्यालय के लिए बाह्य परिक्षक तथा छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन अकादमी में गेस्ट फेकल्टी हैं। श्री जी.एस. वर्मा अक्टूबर, 2007 से छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग में उपसचिव के रूप में संविदा पर कार्यरत् है।

4. **श्री एस.पी. शुक्ला, संयुक्त निदेशक (अभियांत्रिकी)** :– शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, रायपुर से बी. ई. (मेकेनिकल) की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत श्री शुक्ला ने 11 वर्षों तक विद्युत संयंत्रों में कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण, ताप–विद्युत संयंत्रों का नवीनीकरण व आधुनिकीकरण का कमीशनिंग प्रबंधक के पद पर कार्य किया। दिनांक 21/10/2004 से आयोग में उप निदेशक (अभियांत्रिकी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 29/10/2009 को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए।

5. **श्री व्ही.के. अग्रवाल, संयुक्त निदेशक** :– बी.ई (विद्युत अभिंयात्रिकी) तथा 1988 में इग्नू से मानव संशाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की परीक्षा तथा वर्ष 2004 में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसिएंसी, नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा आयोजित प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ऊर्जा अंकेक्षक व ऊर्जा प्रबंधक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। श्री व्ही.के. अग्रवाल, कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल दिनांक 01/10/2008 से आयोग में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत् हैं।

6. **श्री सुरोबीन राय, वित्तीय विश्लेषक**– बी.एस.सी. (गणित), एफ.आई.सी.डब्लु.ए. लागत लेखांकन एवं प्रबंधन, लेखाकन, बजट, लेखा–संपरीक्षण, वित्त एवं कोषालय प्रबंधन, करारोपण, वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में आयोग की सेवा में आने के पूर्व 18 वर्ष का अनुभव। श्री राय आयोग में वित्तीय विश्लेषक के रूप में दिनांक 06.10.2009 से कार्यरत् है।

7. **श्री विवेक गनोदवाले, विधि अधिकारी** :— बी. कॉम, एल.एल.बी.। मई 1988 से मुख्यतः जिला न्यायालय रायपुर में सफल अभिभाषक रहे। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम तथा औद्योगिक न्यायालयों हेतु गठित व रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं के पेनल में रह चुके हैं। दिनांक 10/12/2004 से आयोग में विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत् हैं।

2.3 आयोग के अधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमः—

विगत वर्षों की भांति वर्ष 2009 में भी आयोग द्वारा अपने अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित संस्थानों में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं, तथा टैरिफ के विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजा जिससे उनकी कार्यकुशलता में आधुनिकतम—आवश्यकतानुरूप अभिवृद्धि हो सके ।

<u>विवरण</u>

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम/विषय	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था का नाम व स्थान	अवधि
1.	श्री एस.पी. शुक्ला, संयुक्त निदेशक	डिमांड साईड मेनेजमेंट एण्ड एनर्जी एफिसिएनसी (DSM&EE)	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद	4 दिन (15.06.2009 से 18.06.2009)
2.	श्री व्ही.के. अग्रवाल, संयुक्त निदेशक	डिमांड साईड मेनेजमेंट एण्ड एनर्जी एफिसिएनसी (DSM&EE)	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद	4 दिन (15.06.2009 से 18.06.2009)
3	श्री व्ही.के. अग्रवाल, संयुक्त निदेशक	केपेसीटी बिल्डींग प्रोग्राम	आई.आई.टी., कानपुर	6 दिन (03.08.2009 से 08.08.2009)
4	श्री एस.पी. शुक्ला, संयुक्त निदेशक	डिमांड साईड मेनेजमेंट — लोड रिसर्च	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद	2 दिन (07.09.2009 से 08.09.2009)
5	श्री एस.पी. शुक्ला, संयुक्त निदेशक	ओपन एकसेस रोल ऑफ एल.डी.सी. पॉवर मार्केट	नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद	4 दिन (04.11.2009 से 07.11.2009
6	श्री सुरोबीन राय, वित्तीय विश्लेषक	वित्त एवं आर्थिक	आई.आई.एम., बेंगलोर	5 दिन (14.12.2009 से 18.12.2009)
7	श्री व्ही.के. अग्रवाल, संयुक्त निदेशक	वित्त एवं आर्थिक	आई.आई.एम., बेंगलोर	5 दिन (14.12.2009 से 18.12.2009)

खण्ड–3

आयोग के कृत्य, कार्यवाहियां, शक्तियां एवं उसकी कार्यप्रणाली

3.1 **आयोग के कृत्य** – विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है :–

(i) राज्य के भीतर विद्युत के उत्पादन, प्रदाय/आपूर्ति, पारेषण और Wheeling (व्हीलिंग) थोक विक्रय, थोक या फुटकर आपूर्ति के लिये टैरिफ का निर्धारण।

(ii) वितरण लायसेंसी द्वारा राज्य में प्रदाय के लिये जिस दर से विद्युत का क्रय किसी उत्पादक कंपनी, लायसेंसधारी विद्युत व्यापारी, अथवा अन्य स्त्रोतों से किया जाना है, उस प्रक्रिया एवं दर का विनियमन करना।

(iii) राज्य के भीतर विद्युत के पारेषण तथा व्हीलिंग सुगम बनाने के लिये आवश्यक उपाय करना ।

(iv) राज्य में पारेषण, वितरण और विद्युत व्यापार के लिये लाइसेन्स प्रदाय करना।

(v) नवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्त्रोतों से ग्रिड से संयोजन के लिये उपयुक्त उपाय करना, विद्युत के सह–उत्पादन तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देना तथा वितरण लायसेन्सी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत के प्रतिशत, ऐसे स्त्रोतों से विद्युत की खरीद के लिए भी विनिर्दिष्ट करना ।

(vi) लायसेन्सियों और उत्पादन कम्पनियों के बीच विवादों का निपटारा करना और माध्यस्थम (arbitration) के लिये किसी विवाद को Refer (निर्दिष्ट) करना।

(vii) धारा 79 के अधीन विनिर्दिष्ट केन्द्रीय ग्रिड कोड से सुसंगत (consistent) राज्य ग्रिड कोड का बनाना।

(viii) लायसेन्सी के द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरन्तरता और विश्वसनीयता के बारे में मानकों (standards) का निर्धारण करना तथा प्रभावशील करना ।

(ix) यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य के भीतर विद्युत के व्यापार में ट्रेडिंग मार्जिन तय करना ।

(x) अधिनियम के अधीन ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो आयोग को सौंपे जाए।

(2) आयोग राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों पर परामर्श दे सकता है:–

(i) विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा, दक्षता, और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देना;

(ii) विद्युत उद्योग में पूँजी निवेश को प्रोत्साहन देना;

(iii) राज्य में विद्युत मण्डल का पुनर्गठन और पुनः संरचना एवं

(iv) विद्युत उत्पादन, पारेषण वितरण और व्यापार सम्बन्धी मामले या कोई अन्य मामला जो शासन द्वारा राज्य आयोग को सौंपा गया हो ।

अधिनियम में आयोग को अपनी शक्तियों के प्रयोग में तथा कार्य के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश है।

आयोग अपने कार्य के निर्वहन में राष्ट्रीय विद्युत नीति, और धारा 3 के अधीन प्रकाशित टैरिफ नीति से मार्गदर्शन लेता है।

3.2 आयोग की कार्यप्रणाली

अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि आयोग अपने कार्य निष्पादन में पूर्ण पारदर्शिता बरतेगा एवं इसमें उपभोक्ताओं से अधिकाधिक सहयोग प्राप्त करेगा। आयोग की कार्यप्रणाली न्यायिक कार्यप्रणाली के तुल्य है। आयोग को अपने कार्य के निष्पादन करने के संबंध में विनियम बनाने का अधिकार है। उपरोक्त अधिकार का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा ''कार्य संचालन विनियम, 2004 ''बनाया गया था, जिसे पुर्नरीक्षित कर ''कार्य संचालन विनियम 2009'' बनाया गया है। इस विनियम में आयोग की कार्य प्रणाली विस्तृत रूप में दी गई। इसके मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

- कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष निर्धारित रीति से आवेदन/याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- याचिका शुल्क लाईसेंसी या किसी कंपनी या व्यक्ति के मामले में प्रकरण की विषयवस्तु के अनुसार अलग–अलग निर्धारित हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति, जिसे जाँच या याचिका के बारे में सूचना–पत्र जारी किया गया है, वह अपना उत्तर समस्त प्रतिलिपियों सहित निर्धारित समय–सीमा में आयोग के सामने प्रस्तुत करेगा ताकि मामले की सही जाँच समुचित रूप से की जा सके ।
- आयोग के सामने संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकेगा या कार्यवाही एवं पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति नियुक्त कर सकता है ।
- आयोग निर्धारित मामले की सुनवाई आवेदन के क्रमानुसार निश्चित स्थान, दिनाँक तक समय निर्धारण कर अधिनियम के तहत् निपटाने की कोशिश करेगा।
- आयोग किसी भी कार्यवाही, सुनवाई या किसी मामले के दौरान कोई भी अंतरिम आदेश, जो वह उचित समझे, जारी कर सकता है ।
- विद्युत अधिनियम के अनुसार आयोग अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विवादों का हल, विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर शुरू कर सकेगा तथा प्रकरण माध्यस्थम को निर्दिष्ट कर सकेगा।
- आयोग आवश्यक जानकारी एकत्र करने के लिये जाँच, अनुसंधान, प्रवेश, खोज एवं जब्ती के लिए आदेश कर सकेगा ।

- यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी अनुज्ञप्ति के किसी नियम, शर्त या अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो आयोग विद्युत अधिनियम की धारा 128 के तहत् उनके विरूद्ध लिखित आदेश देकर उसके काम–काज की जाँच करा सकता है ।

- यदि आयोग के किसी नियम–कानून का उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार के शिकायत के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करवाने की कार्यवाही कर सकता है ।

- इसके साथ यदि व्यक्ति निर्धारित तिथि में सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने अनुसार एक पक्षीय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। नियम/कानून या प्रावधानों को लागू करने में आयोग यदि कोई कठिनाई महसूस करता है तो वह सामान्य या विशेष आदेश उस कठिनाई को दूर करने के लिए जारी कर सकता है ,जो विद्युत अधिनियम के सम्मत हो।

- आयोग के समक्ष सभी मामलों की सुनवाई खुले रूप से होती है जहाँ कोई भी संबंधित व्यक्ति उपस्थित हो सकता है। उपर्युक्त मामलों में उपभोक्तओं के पक्ष में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को आयोग द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

3.3 आयोग की शक्तियाँ

विद्युत अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिये वही शक्तियाँ प्राप्त है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 (5/1908) के अधीन निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में निहित की गई हैं, नामतः–

(i) किसी व्यक्ति की उपस्थिति हासिल करने के लिये समन करना और उसका शपथ पर परीक्षण करना ;

(ii) किसी (विलेख) दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य अन्य सारवान्त सामग्री की खोज और उसकी प्रस्तुति के लिये या;

(iii) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना/ग्रहण करना;

(iv) किसी लोक अभिलेख को तलब करना ।

(v) साक्षियों के परीक्षण के लिये कमीशन जारी करना;

(vi) अपने विनिश्चयों, निर्देशों और आदेशों का पुनर्विलोकन (reviewing) करना;

(vii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही में, सुनवाई करते समय या कोई मामला जो आयोग के समक्ष हो और जैसा आयोग समुचित समझे ऐसा अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्तियाँ है।

(3) आयोग, उपभोक्ताओं के हित का अपने समक्ष कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

3.4 आयोग के समक्ष कार्यवाहियाँ

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95 के अनुसार समस्त कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता (45/1860) की धाराओं 193 तथा 228 के आशयों के भीतर न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जाएगी और आयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रीमनल प्रोसीजर कोड, 1973 (2/1974)) की धाराओं 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिये सिविल कोर्ट समझा जायेगा ।

————00000————

खण्ड–4

राज्य सलाहकार समिति

4.1 राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम की धारा 88 में राज्य सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। राज्य सलाहकार समिति निम्नलिखित विषयों पर आयोग को परामर्श दे सकेगीः–

(1) मुख्य नीतिगत मुद्दों पर;

(2) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विस्तार से संबंधित विषयों पर;

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तो एवं अपेक्षाओं के अनुपालन पर;

(4) उपभोक्ता हित संरक्षण पर; एवं

(5) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय एवं कार्य निष्पादन के मानकों पर।

सलाहकार समिति का गठन आयोग की अधिसूचना दिनाँक 25.02.2005 के द्वारा किया गया था। दिनाँक 31.12.09 की स्थिति में राज्य सलाहकार समिति में निम्नलिखित सदस्य हैंः–

1.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	अध्यक्ष	पदेन
2.	सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर	सदस्य	पदेन
3.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, रायपुर	सदस्य	पदेन
4.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, रायपुर	सदस्य	पदेन
5.	प्रबंध निदेषक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, रायपुर	सदस्य	अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि
6.	महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, बिलासपुर	सदस्य	परिवहन के प्रतिनिधि
7.	महाप्रबंधक (इलेक्ट्रिकल), भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई	सदस्य	बड़े उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
8.	महापौर, रायपुर नगर पालिक निगम, रायपुर या उनके प्रतिनिधि	सदस्य	उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि
9.	अध्यक्ष, कंफडेरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़ चैप्टर, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
10.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि
11.	अध्यक्ष, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, रायपुर	सदस्य	उद्योगों के प्रतिनिधि

12.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ, बिलासपुर	सदस्य	लघु उद्योगों के प्रतिनिधि
13.	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज रायपुर	सदस्य	वाणिज्य के प्रतिनिधि
14.	श्री ललित सिंघानिया, रायपुर	सदस्य	गैरसरकारी / अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
15.	श्री रामचन्द्र चेट्टी, कोरबा	सदस्य	श्रमिकों के प्रतिनिधि
16.	श्री अरूण कुमार चौबे, रायपुर	सदस्य	श्रमिकों के प्रतिनिधि
17.	श्री गौरी शंकर कौशिक, गांव–पोडी, जिला– बिलासपुर	सदस्य	कृषक प्रतिनिधि
18.	श्री एम.पी.पाण्डे, सचिव, जय प्रकाश मेमोरियल सेंटर किरन्दुल	सदस्य	अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि
19.	श्री बीरेन्द्र कुमार सोनी, डोंगरगढ़	सदस्य	उपभोक्ताओ के प्रतिनिधि
20.	आर.पी. सिंह, रिटा. मुख्य अभियंता, छ.ग.रा.वि.म., बिलासपुर	सदस्य	उपभोक्ताओ के प्रतिनिधि
21.	श्री गोपाल मुखर्जी, अध्यक्ष एवं संचालक राजकिशोर नगर समन्वय समिति, बिलासपुर	सदस्य	उपभोक्ताओ के प्रतिनिधि

टीपः– आयोग के सचिव, समिति के पदेन सचिव हैं।

4.2 राज्य सलाहकार समिति की बैठकें :–

वर्ष 2009 में इस समिति की तीन बैंठकें संपन्न हुई जिसमें विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु कॉल सेन्टरों की स्थापना, विद्युत उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने एवं उनकी समस्याओं के निवारण हेतु विद्युत वितरण केन्द्रों में शिविर लगाने के उपायों तथा विद्युत उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे प्रयासों, टैरिफ प्रस्तावों आदि अनेक विषयों पर चर्चा की गई एवं तत्संबंधी निर्देश भी जारी किये गये।

–––000–––

खण्ड–5

वर्ष 2009 में आयोग द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण

5.1 आयोग द्वारा विनियमों का जारी करना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने तथा आयोग को अधिनियम में सौपें गये कृत्यों को पूरा करने के लिए आयोग को विभिन्न धाराओं से सुसंगत विनियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस प्रकार विनियम का बनाना आयोग का एक प्रमुख कर्तव्य है। उपरोक्त विनियम बनने के पूर्व प्रारूप विनियमों तथा अन्य दिशा निर्देशों पर जन सामान्य तथा विशेष रूप से प्रभावित घटक–संस्थाओं, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, अनुज्ञप्तिधारियों, शासन, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से उपरोक्तानुसार सुझाव आपत्तियाँ तथा टिप्पणियाँ प्राप्त की जाती है ।

आयोग द्वारा विनियम बनाने की प्रक्रिया अधिसूचना (नोटिफिकेशन) द्वारा की जाती है। अधिसूचना का अभिप्राय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। धारा 181 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा बनाए गए समस्त विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

अतः पूर्व प्रकाशन हेतु आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

- प्रारूप विनियम आयोग की वेबसाईट पर रखे जायेंगे तथा प्रारूप विनियमों की प्रतियाँ आयोग के कार्यालय व पुस्तकालय में कार्यालय के कार्य–अवधि में कार्य दिवसों में उपलब्ध होंगी।
- प्रारूप विनियमों के बारे में आपत्ति/सुझाव/टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु सर्वाधिक प्रसारित दो समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जायेगी तथा आयोग के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी। उक्त सूचना में संक्षेप में विनियम की विषय–वस्तु समाविष्ट होगी।
- प्रारूप विनियम की एक–एक प्रतिलिपि निम्नलिखित में से प्रत्येक को भेजी जायेगी':–

  (क) राज्य शासन के ऊर्जा विभाग में

  (ख) राज्य सलाहकार समिति के प्रत्येक सदस्य को ।

  (ग) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को ।
- दो सप्ताह या उससे अधिक समय जैसा आयोग द्वारा समुचित माना जाये, आपत्तियाँ, सुझाव व टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु दिया जायेगा।
- समुचित प्रकरणों में आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों, सुझावों व टिप्पणियों के आधार पर अथवा अन्यथा प्रारूप विनियम पर जन–सुनवाई की जा सकती है।

- विनियम को अंतिम रूप जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा। प्रकाशन के उपरांत विनियम को आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना आयोग के आम सूचना–पटल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा एक प्रेस–विज्ञप्ति भी जारी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार आयोग की स्थापना वर्ष 2004 में होते ही वर्ष 2004 से 2008 में निरंतर विनियम तैयार कर लागू कर दिये थे। यह प्रक्रिया वर्ष 2009में भी अनवरत जारी रही। दिनाँक 31.12.2009 की स्थिति में जारी विनियमों की सूची निम्नानुसार है :–

(I) वर्ष 2009 के पूर्व अधिसूचित विनियमः–

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम–2004
2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) विनियम–2004
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम–2004
4. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम–2004
5. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम–2004
6. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम–2004
7. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि) विनियम–2005
8. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम–2005
9. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम–2005
10. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2005
11. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (प्रथम संशोधन) विनियम–2005
12. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) (प्रथम संशोधन) विनियम–2005
13. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया) विनियम–2005

14. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (भर्ती एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों विनियम–2005

15. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम–2006

16. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण हेतु निबंधन व शर्ते) विनियम–2006

17. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सूचना की तामीली व प्रकाशन) विनियम, 2006।

18. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन) 2007

19. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन) 2007

20. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग–प्रथम संशोधन) विनियम, 2007

21. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा निधि–प्रथम संशोधन) विनियम, 2007

22. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण) विनियम 2007।

23. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता 2007।

24. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता (प्रथम संशोधन), 2008।

25. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत की प्राप्ति) विनियम, 2008।

26. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2008।

27. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञप्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008।

28. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपारंपरिक उर्जा–स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ की अवधारणा हेतु निबंधन एवं शर्तें तथा संबंधित विषय–वस्तु) विनियम, 2008।

इस प्रकार आयोग के गठन के बाद से दिनाँक 31.12.08 तक आयोग द्वारा कुल (अट्ठाईस) विनियम बनाये गये हैं। इनमें से छः संशोधन विनियम है।

(II) वर्ष 2009 में अधिसूचित विनियमः–

1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (शुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2009

2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009

5.2 न्यायिक कार्य : याचिकाओं का निराकरण

इस वर्ष आयोग द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर 16 मामले पंजीबद्ध कर उसमें कार्यवाही की गई। विभिन्न पक्षकारों द्वारा 45 प्रकरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गए। इस तरह वर्ष 2009 के दौरान आयोग में कुल 61 मामले पंजीबद्ध किये गए, जिसमें से 46 प्रकरणों का निपटारा आयोग द्वारा इस वर्ष किया गया। सन् 2008 में पंजीबद्ध, परन्तु इस वर्ष के प्रारंभ में लंबित, 12 प्रकरणों का निपटारा भी इस वर्ष किया गया। इस तरह वर्ष 2009 में कुल 58 मामलों का निराकरण किया गया। यह नीचे दी गई सारणी में दर्शित हैः—

याचिकाओं का निराकरण			
01—01—2009 की स्थिति में विचाराधीन	वर्ष 2009 में पंजीकृत	वर्ष 2009 में निराकृत	01—01—2010 की स्थिति में विचाराधीन
12	61	58	15

5.3 विद्युत के प्रदाय हेतु टैरिफ का निर्धारण

आयोग के द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार विद्युत मण्डल को प्रति वर्ष नवम्बर के अन्त तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत दरों के निर्धारण हेतु याचिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। वर्ष 2009 में टैरिफ के निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी द्वारा दिनाँक 25.02.2009 को याचिका प्रस्तुत की गई। आयोग द्वारा तत्संबंध में प्राप्त टिप्पणी व सुझावों पर विचार कर तथा सभी पक्षों को सुनने के उपरांत दिनाँक 30.05.2009 को विद्युत दर आदेश जारी किया। आयोग द्वारा निर्धारित नई विद्युत दरें दिनाँक 01.07.2009 से लागू की गईं एवं 31 मार्च 2010 अथवा आगामी टैरिफ आदेश जारी होने तक, जो भी बाद में हो प्रभावशील रहेंगी। जिन्दल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा टैरिफ के लिए 27.02.2009 को याचिका प्रस्तुत की गई, आयोग द्वारा दिनांक 27.06.2009 को विद्युत दर आदेश जारी किया। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा टैरिफ के लिए दिनांक 27. 05.09 को याचिका प्रस्तुत की गई, जिस पर आयोग द्वारा दिनांक 31.08.2009 को विद्युत दर आदेश जारी किया इस तरह आयोग द्वारा वर्ष 2009 में कुल 5 टैरिफ आदेश जारी किये गये।

टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

(i) याचिका की प्राप्ति

(ii) आपत्तियां एवं टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिये प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन

(iii) मण्डल द्वारा याचिका में प्रस्तावित संशोधन का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन

(iv) टैरिफ आवेदन पर विचार के लिए राज्य विद्युत सलाहकार समिति की विशेष बैठक

(v) बिलासपुर, रायपुर एवं जगदलपुर में जन सुनवाई

(vi) टैरिफ आदेश पारित करना

वर्ष 2009 विद्युत दर आदेश के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं:–

1) सिंचाई पंप की विद्युत दरों में कोई वृद्धि नही।

2) घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में मामूली परिवर्तन।

3) घरेलू उपभोक्तओं को मीटर किराये से छूट।

4) छोटे व्यवसायियों के लिए रियायती टैरिफ।

5) अन्य गैर घरेलू उपभोक्ताओं की दरों में भी कमी।

6) छोटे उद्योगों को मासिक न्यूनतम प्रभार (25 यूनिट प्रति अश्व शक्ति) से मुक्ति।

7) बिजली बिल रूपये 10 के गुणांक में जारी।

8) भविष्य में भी बिजली की दर को स्थिर रखने के लिए विशेष व्यवस्था।

9) बिलों के अग्रिम भुगतान पर छूट का प्रावधान।

5.4 आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को निर्देशः–

राज्य में उच्च दाब उपभोक्ताओं की खपत का प्रतिशत् कुल प्रदायित बिजली में 60 है एवं निम्न दाब उपभोक्तओं का प्रतिशत् 40। परन्तु वितरण कंपनी को प्राप्त कुल आय का 73 प्रतिशत आय उच्च दाब उपभोक्ताओं से प्राप्त होता है। यह विशेषता देश के कम राज्यों में पाई जाती है। यदि कंपनियों की कार्यकुशतला में आशानुरूप सुधार होता है, तो आगामी कुछ वर्षों तक राज्य में बिजली दरें बढ़ाने की जरूरत नही पड़ेगी। कार्य कुशलता से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पारेषण एवं वितरण हानि में कमी लाना एवं बिजली की चोरी पर अंकुश लगाना है। वर्ष 2009–10 हेतु टैरिफ आदेश में लाईन लॉस (हानि) कम करने हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये है और इस वर्ष हानि में कम से कम 3 प्रतिशत की कमी लाने का स्पष्ट निर्देश है।

छत्तीसगढ़ संभवतः ऐसा अकेला राज्य है, जिसमें वितरण कंपनी का आय व्यय से अधिक है। इस स्थिति को देखते हुये आयोग द्वारा कंपनी को यह निर्देशित किया गया है कि इस आधिक्य को टैरिफ स्टेब्लाईजेशन फण्ड में अलग रखा जाये और इसका उपयोग आगामी वर्षों में बिजली की दरों में स्थिरता लाने के लिए किया जाये। आयोग ने यह भी निर्देशित किया है कि इस बचत का उपयोग उपभोक्ता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए भी किया जाये। इन निर्देशों का अनुश्रमण नियमित रूप से आयोग द्वारा किया जावेगा।

5.5 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम तथा विद्युत लोकपाल (अंबुडसमैन) की स्थापनाः–

आयोग के निर्देशानुसार राज्य विद्युत मंडल द्वारा राज्य में रायपुर, विलासपुर तथा जगदलपुर में शिकायत निवारण फोरम (फोरम) स्थापना की गई है। इसके अलावा आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम धारा 42(6) के प्रावधान के अनुसार विद्युत लोकपाल की नियुक्ति भी की है। फोरम के आदेशों के विरूद्ध लोकपाल के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

आयोग द्वारा वर्ष 2009 में किये गये प्रमुख कार्यः–

2. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61(f) के तारतम्य में आयोग द्वारा आगामी वर्ष से बहुवर्षीय टैरिफ लागू करने के उद्देश्य से जनसामान्य से सुझाव आमंत्रित कर तथा जनसुनवाई के पश्चात बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों पर आधारित टैरिफ अवधारण की शर्तों एवं निबंधनों संबंधी विनियम का प्रारूप बनाया गया।

3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अन्य विद्युत जनरेटरों से लघु अवधि विद्युत क्रय करने के लिए भी आयोग द्वारा दरों का निर्धारण किया गया।

विद्युत उपभोक्ताओं में जागरूकता के प्रयासः–

वितरण कम्पनी द्वारा समय समय पर संभागीय कार्यालयों एवं वितरण केन्द्रों पर समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी जाती है एवं उनके समस्याओं का विद्युत कम्पनी द्वारा निराकरण किया जाता है। विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों एवं उनकी सुविधा के लिए विद्युत वितरण क्रियान्वयन हेतु मानक विनियम 2006 के अनुसार निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध न होने पर व सेवा में कमी पाये जाने पर उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति राशि के प्रावधान के बारे में जानकारी दी जाती है। इस संबंध में बड़ा पोस्टर राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार हिन्दी में तैयार कराया गया है जिसे मण्डल के कार्यालयों जैसे वितरण केन्द्र, उपसंभाग, संभाग, वृत्त कार्यालय एवं कम्पनी के अन्य प्रमुख कार्यालयों के मुख्य स्थानों पर लगाया गया है तथा समय समय पर वितरण कम्पनी द्वारा पांपलेट भी बांटे जाते है।

उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के निराकरण पर संतुष्टि न होने की स्थिति में आंतरिक शिकायत निवारण फोरम में शिकायत करने हेतु जागरूकता लाने हेतु वितरण कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। इसके बारे में उपभोक्ताओं को अवगत कराने हेतु कम्पनी द्वारा विद्युत बिल जो कि प्रत्येक माह उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है, के पीछे जानकारी दी गई है। इसके अलावा भी फोरम के बारे में भी जानकारी देने हेतु कम्पनी द्वारा समय समय पर पांपलेट छपवाकर वितरित किया जाता है। नया कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वितरण केन्द्र कार्यालयों में हिन्दी में आयोग के निर्देशानुसार डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया गया है।

————00000————

खण्ड–6

आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण वर्ष 2008–09

6.1 आयोग की निधि –

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 में राज्य शासन द्वारा एक निधि की स्थापना करने का प्रावधान है जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि के नाम से जाना जाता है तथा जिसमें राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु आबंटित अनुदान राशि, ऋण एवं आयोग द्वारा प्राप्त समस्त वैधानिक शुल्क आदि को शामिल किया जाता है।

इस निधि का उपयोग ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियम, 2007 जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक–18 मई 2007 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, में निहित प्रावधानों के तहत किया जाता है।

इन नियमों में तीन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

(1) आयोग की निधि का मुख्य लेखा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शाखा में रखा जायेगा तथा उसका उप लेखा अन्य किसी बैंक अथवा शाखा में रखा जा सकेगा। इसके तारतम्य में आयोग का मुख्य लेखा पंजाब नेशनल बैंक–रायपुर में खोला गया तथा उपलेखा के संचालन हेतु एक्सिस बैंक लिमिटेड रायपुर में रखा गया, वर्तमान में उप लेखा संचालन स्टेट बैंक से किया जा रहा है।

(2) आयोग की निधि से आहरण केवल चेक द्वारा किया जाना है, जो कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं एक अन्य अधिकारी जो आयोग द्वारा नामित हो। इसके अनुसरण में वर्ष 2008–09 में आयोग के उप सचिव को आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। चेक द्वारा भुगतान हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी तथा आयोग के कनिष्ठ लेखाधिकारी को चेक पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है।

(3) आयोग के विभिन्न व्यय एवं स्वीकृति के अधिकारों का प्रत्यायोजन की रूप रेखा तैयार करने का अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव को प्रदाय किया गया है।

6.2 आयोग के लेखाओं, बजट एवं लेखा संपरीक्षा नियम –

आयोग के लेखाओं के संधारण, बजट की प्रस्तुति एवं लेखा संपरीक्षा (ऑडिट) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित नियम जिनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 06 जुलाई 2007 को ''छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 के नाम प्रकाशित हो चुका है के द्वारा संचालित होते है। उक्त नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण संपरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त

किसी अन्य संस्था को लेखा संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना है। आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को आयोग के अध्यक्ष, वित्तीय मामलों के एक सदस्य एवं सचिव द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। उक्त नियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंत तक वर्तमान वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं आने वाले वर्ष का संभावित बजट अनुमान राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2008–09 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षण महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा किया जा चुका है एवं वर्ष 2009–10 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं बजट अनुमान 2010–11 शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है।

6.3 वित्तीय वर्ष 2008–09 का संक्षिप्त लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2007–08 के संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण में दिनाँक 31.03.08 को विगत अंतिम रोकड़ शेष तथा बैंकस्थ रोकड़ शेष रू. 2,09,61,722.90 था जिसे प्रारंभिक शेष के रूप में लेकर वित्तीय वर्ष 2008–09 की रोकड़ बही दिनाँक 01.04. 2008 को प्रारंभ की गई। उसके उपरांत सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2008–09 में आयोग की कुल प्राप्तियां रू. 5,78,20,990.00 हुई जिसमें से रू. 160,00,000.00 (जिसमें की अधोसंरचना (नए भवन निर्माण) के लिए रूपये 1,00,00,000.00 एवं स्थापना अनुदान हेतु रू. 60,00,000.00) छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आयोग को सहायक अनुदान के रूप में तथा अन्य रू. 4,18,20,990.00 आयोग की स्वयं की प्राप्तियों की मद में प्राप्त हुए। कुल व्यय रू. 7,12,17,414.00 हुआ जिसमें से रू. 2,76,430.00 पूंजीगत व्यय, रु.3,09,95,874.00 सावधी जमा तथा रू. 3,99,45,110.00 स्थापना, प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय थे। दिनाँक 31.03.2009 की स्थिति में अंतिम रोकड़ तथा बैकस्थ रोकड़ रू. 75,65,298.90 शेष था। वर्ष 2008–09 के संपरीक्षित वार्षिक लेखे इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप–क

(देखिये नियम 3)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

(01.04.2008 से 31.03.2009)

गत वर्ष (रू.)	प्राप्तियाँ		राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	1. प्रारंभिक शेष			
5155.00	(i) हस्तस्थ रोकड़		12099.00	
32392750.90	(ii) बैंक में रोकड		20949623.90	20961722.90
16000000.00	2. छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान			16000000.00
	3. आयोग की प्राप्तियाँ			
	(i) निवेश से प्राप्तियाँ			
निरंक	(क) निवेश का नगदीकरण		20000000.00	
निरंक	(ख) निवेश पर ब्याज		2188666.00	
निरंक	(ii) कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की वसूली		10894.00	
	(iii) अन्य प्राप्तियाँ			
निरंक	(क) वर्तन			
16785555.00	(ख) शुल्क, जुर्माना, शास्ति एवं प्रभार	18707384.00	18707384.00	
500000.00	(ग) अग्रिम वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क की प्राप्ति			
1068433.00	(घ) बैंक में रोकड़ पर ब्याज		735148.00	
निरंक	(ड़) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज			
	(ड़) विविध प्राप्तियाँ			
	(i) बयाना राशि			
	कुल प्राप्ति	205500.00		
250000.00	(-) वापसी	-255000.00	-49500.00	
13467.00	(ii) प्रतिभूति निक्षेप (प्राप्त)		4233.00	
	(iii) प्रेषण प्राप्तियाँ			
निरंक	(अ) समूह बीमा योजना (अप्रेषित)			
	(ब) सामान्य भविष्य निधी			
	कुल प्राप्तियाँ	172016.00		
निरंक	(–) वापसी	172016.00	निरंक	
174747.00	(स) नवीन अंशदायी पेंशन योजना		189520.00	
4000.00	(iv) निविदा प्रपत्र की बिक्री		4000.00	
12484.00	(v) स्टाफ कार वसूली		12275.00	
6960.00	(vi) गृह किराया वसूली		580.00	
4000.00	(vii) निविदा हेतु कार्यवाही शुल्क		4000.00	
8600.00	(viii) प्रकाशन का विक्रय		2000.00	
1965.00	(ix) अन्य विविध प्राप्तियाँ		3790.00	
595688.00	(x) विघुत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त			
100.00	(xi) पुराने सामाचार पत्रों के विक्रय से प्राप्त		200.00	
	(xii) प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.मं. को देय)			
2150.00	प्राप्तियां	7800.00		
निरंक	(–) भुगतान	निरंक	7800.00	
2685.00	(xiii) पूर्वावधी मद		निरंक	41820990.00
67828639.90	योग			78782712.90

गत वर्ष (रू.)	भुगतान	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	1. स्थापना व्यय (सारणी 1)		
6356214.00	(i) वेतन एवं भत्ते	7435073.00	
48571.00	(ii) मजदूरी	19315.00	
	(iii) यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान		
107874.00	(सुरक्षा एवं रख रखाव)	116203.00	
91260.00	(iv) अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	50091.00	
	(v) यात्रा व्यय (सारणी 2)		
505425.00	(a) देशीय यात्रा	406482.00	
निरंक	(b) विदेश यात्रा	325650.00	
128818.00	(c) अवकाश यात्रा रियायत	निरंक	
14500.00	(vi) मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)	5500.00	
निरंक	(vii) अतिरिक्त समय भत्ता	निरंक	
592392.00	(viii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	73599.00	
20000.00	(ix) अधिलाभांश	13500.00	
505514.00	(x) अन्य स्थापना व्यय (विद्युत लोकपाल कार्यालय)	599317.00	
	(xi) CPS Final Payment	400564.00	9445294.00
	2. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय		
-175100.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय (24900-200000)	243740.00	
250191.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	224947.00	
844848.00	(iii) किराया (770520+74328)	795441.00	
5977681.00	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	2378641.00	3642769.00
361717.00	3. पूंजीगत व्यय		276430.00
निरंक	4. प्रतिभूति निक्षेप (पक्षकारों को भुगतान)		17700.00
	5. कर्मचारियों को अग्रिम (यात्रा हेतु अग्रिम)		
10894.00	(i) Traveling Advance	27560.00	
	(iii) Grain Advance	6000.00	
	(iv) Festival Advance	3000.00	36560.00
	6. अन्य अग्रिम		
856000.00	(i) गृह निर्माण मंडल को भुगतान (कार्यालय भवन निर्माण हेतु कार्य प्रगति पर)	25519000.00	
327000.00	(ii) छ.ग.रा.वि.मं. की ओर से सामानांतर प्रक्रिया हेतु सलाहकारीता शुल्क का भुगतान	883787.00	26402787.00
	7. अंतिम शेष		
10099.00	(i) हस्तस्थ रोकड	7418.00	
2000.00	(ii) खुदरा रोकड़	172.00	
20949623.90	(iii) बैंक में रोकड	7547414.90	
30000000.00	(iv) CSERC, Raipur TDS A/c	10294.00	7565298.90
43118.00	8. एन्टीवायरस साफ्टवेयर		निरंक
	9. Refund of Annual Licence fee recd. in adv.		400000.00
	10 Investment made in bank FDR		30995874.00
67828639.90	योग		78782712.90

सारणी–1

(देखिये नियम 3)

स्थापना व्यय 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	वेतन एवं भत्ते	1391510.00	2770425.00	3273138.00	7435073.00
(ii)	मजदूरी	-	-	19315.00	19315.00
(iii)	व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	-	-	-	-
(iv)	अवकाश वेतन एवं निवृत्ति वेतन अंशदान	50091.00	-	-	50091.00
	योग	1441601.00	2770425.00	3292453.00	7504479.00

सारणी–2

(देखिये नियम 3)

यात्रा व्यय 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	देशीय यात्रा	256549.00	129845.00	4239.00	406482.00
(ii)	विदेश यात्रा	325650.00	निरंक	निरंक	325650.00
(iii)	अवकाश यात्रा रियायत	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	582199.00	129845.00	4239.00	732132.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप–ख

(देखिये नियम 3)

आय व्यय लेखा 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

(01.04.2008 से 31.03.2009)

गत वर्ष (रू.)	प्राप्तियाँ	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)	गत वर्ष (रू.)	भुगतान	राशि (रू.)	कुल राशि (रू.)
	क. <u>स्थापना व्यय</u> (सारणी 1क)			6000000.00	1. छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (प्राप्त)	16000000.00	
6390869.00	1. वेतन एवं भत्ते	8529488.00			जोड़ेंः प्राप्य अनुदान	निरंक	
48376.00	2. मजदूरी	16656.00			योगः	16000000.00	
302271.00	3. (क) अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्तिद वेतन	430800.00			घटायेंः पूंजीकृत राशि	10000000.00	
निरंक	(ख) उपादान (प्रावधान सहित)	निरंक	8976944.00		शुद्ध योगः	6000000.00	6000000.00
	3 अ व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान			749749.00	2. निवेश पर ब्याज		5400170.00
108482.00	(सुरक्षा एवं भवन रक्षण)		116521.00	1068433.00	3. बैंक में रोकड़ पर ब्याज		735148.00
	4. <u>यात्रा व्यय</u> (सारणी 1ख)			16985555.00	4. वर्तन एवं शुल्क एवं प्रभार		18807384.00
	i. विदेश यात्रा	325650.00			5. विविध प्राप्तिया		
453929.00	ii. देशीय यात्रा	398931.00		निरंक	(क) पुराने समाचार पत्र का विक्रय	200.00	
128818.00	iii अवकाश यात्रा रियायत		724581.00	4000.00	(ख) निविदा प्रपत्र की बिकी	4000.00	
14500.00	5. मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)		5500.00	12484.00	(ग) स्टॉफ कार वसूली	12275.00	
निरंक	6. ओवर टाईम भत्ता		निरंक	4000.00	(घ) प्रक्रिया शुल्क	4000.00	
592392.00	7. चिकित्सा प्रतिपूर्ति		73599.00	8600.00	(ड़) प्रकाशन का विक्रय	2000.00	
20000.00	8. अधिलाभांश		13500.00	6960.00	(च) गृह किराया वसूली	580.00	
निरंक	9. अन्य स्थापना व्यय		निरंक	1965.00	(छ) अन्य विविध प्राप्तियाँ	3790.00	26845.00
	ख. <u>प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय</u>			2685.00	6. पूर्वावधी मद		निरंक
40900.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	227740.00					
247402.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	220410.00					
844848.00	(iii) किराया	785520.00					
6149746.00	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	2692557.00					
13399.00	(v) एन्टिवायरस साफ्टवेयर के लागत में कमी	14372.00	3940599.00				
221802.00	ग. अक्षयण		240918.00				
निरंक	घ. पूर्वावधी मद		निरंक				
9266697.00	ड़. आय का व्यय पर आधिक्य		16877385.00				
24844431.00	योग		30969547.00	24844431.00	योग		30969547.00

सारणी–1अ

(देखिये नियम 3)

स्थापना व्यय 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	वेतन एवं भत्ते	2505607.00	2759306.00	3264575.00	8529488.00
(ii)	मजदूरी	-	-	16656.00	16656.00
(iii)	व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	-	-	-	-
(iv)	अवकाश वेतन एवं निवृत्ति वेतन अंशदान	241280.00	91596.00	97924.00	430800.00
	योग	2746887.00	2850902.00	3379155.00	8976944.00

सारणी–1ब

(देखिये नियम 3)

यात्रा व्यय 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (रू.)
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(i)	देशीय यात्रा	269792.00	124900.00	4239.00	398931.00
(ii)	विदेश यात्रा	325650.00	निरंक	निरंक	325650.00
(iii)	अवकाश यात्रा रियायत	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	595442.00	124900.00	4239.00	724581.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय

दिनाँक 31.3.2009 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष के व्यय (देखिये आय एवं व्यय खाता) रु.	अदत्त		चालू वर्ष में भुगतान (देखिये प्राप्ति एवं भुगतान खाता) रु.
			गत वर्ष के अदत्त व्यय चालू वर्ष में हस्तांतरित 01.04.2008	चालू वर्ष के अदत्त व्यय आगामी वर्ष में हस्तांतरित 31.03.2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	विज्ञापन एवं प्रचार	499019.00	100536.00	155819.00	443736.00
02.	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार देय	-	40000.00	40000.00	-
	अंकेक्षण शुल्क देय	20000.00		20000.00	
03.	पुस्तक एवं नियत कालिक पत्रिका	-	-		-
04.	किताब एवं प्रकाशन	16515.00	-		16515.00
05.	भवन व्यय	22565.00	-		22565.00
06.	संगणक लेखन सामग्री एवं उपभुक्त	85249.00	-		85249.00
07.	पोशाक / गणवेश व्यय	1081.00	-		1081.00
08.	विद्युत एवं पानी खर्च	175347.00	13723.00	16801.00	172269.00
09.	परीक्षा एवं प्रशिक्षण व्यय	2000.00	-		2000.00
10.	अधिवक्ता शुल्क	-	-		-
11.	साज सज्जा एवं कार्यालय उपकरण	12121.00	-		12121.00
12.	उपभोक्ताओं को सामर्थ्य क्षमता की जानकारी हेतु अनुदान	461244.00	-		461244.00
13.	भाड़ा (कार)	379183.00	44109.00	26460.00	396832.00
14.	भाड़ा (आटो रिक्शा)	92266.00	5969.00	6661.00	91574.00
15.	अतिथि सत्कार व्यय	67668.00	1659.00	1425.00	67902.00
16.	अंशदान पेंशन योजना (CPS) पर ब्याज	67572.00	45750.00	113322.00	-
17.	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता	90858.00	4305.00	8369.00	86794.00
18.	सदस्यता शुल्क व्यय (FOIR)	50000.00	-		50000.00
19.	सदस्यता शुल्क व्यय (FOR)	100000.00	-		100000.00
20.	सदस्यता शुल्क व्यय (SAFIR)	60000.00	-		60000.00
21.	विविध कार्यालय व्यय	95191.00	1900.00	2800.00	94291.00
22.	नये कार्यालय भवन की नींव शीला समारोह पर व्यय	2223.00	-		2223.00
23.	समाचार पत्र एवं पत्रिका व्यय	20529.00	1905.00	1727.00	20707.00
24.	प्रकाशन व्यय	972.00	-		972.00
25.	पेट्रोल तेल चिकनाई	127164.00	-		127164.00
26.	डाक एवं तार व्यय	17522.00	-		17522.00
27.	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म	61100.00	-		61100.00
28.	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण एवं कम्प्यूटर	76093.00	-		76093.00
29.	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (अध्यक्ष)	43758.00		-2709.00	46467.00
30.	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (सदस्य)	26781.00		-1850.00	28631.00
31.	Bank charges	1014.00	-		1014.00
	शुल्क एवं भत्ते (राज्य सलाहकार समिति बैठक)	5474.00	-		5474.00
32.	मरम्मत एवं रखरखाव फर्नीचर एवं फिक्चर्स	1820.00			1820.00
33.	Income Tax (Payable)			184947.00	-184947.00
	Traveling allowance (interview)	10228.00			10228.00
34.	योग	2692557.00	259856.00	573772.00	2378641.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप–ग

(देखिये नियम 3)

तुलन पत्र 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

(01.04.2008 से 31.03.2009)

गत वर्ष (रू)	दायित्व	राशि (रू)	कुल राशि (रू)	गत वर्ष (रू)	आस्तियाँ	राशि (रू)	कुल राशि (रू)
54305095.90	पूंजी निधी (सारणी–1)			4822810.00	स्थायी आस्तियाः (सारणी–क)		
	प्रारंभिक शेष	54305095.90			सकल योग	4104795.00	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्वि				घटाईयेः अवक्ष्यण	1016845.00	
	आय का व्यय पर आधिक्य	16877385.00			शुद्ध योग		3087950.00
	छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना)	10000000.00	81182480.90		क्रियमाण कार्य (नये कार्यालय भवन का निर्माण)W.I.P. (New Office Building Construction)		27275000.00
निरंक	ऋणः		निरंक	30749749.00	निवेश (सारणी–ख)		44886929.00
	चालू दायित्व एवं प्रावधानः			10894.00	आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम (सारणी–ग)		541974.00
निरंक	प्रेषण (सारणी–2)		निरंक	4320.00	निक्षेप (सारणी–घ)		4320.00
769392.00	भविष्य निधि (सारणी–3)		815440.00	निरंक	भविष्य निधि (सारणी–ड़)		निरंक
1802008.00	विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व (सारणी–4)		2649095.00	327000.00	विविध देनदार (सारणी–च)		1280985.00
निरंक	उपादान हेतु प्रावधान (समस्त कर्मचारियों के लिए) (सारणी–5)		निरंक	निरंक	अनुदान प्राप्य (सारणी–छ)		निरंक
					अंतिम शेषः		
				12099.00	हस्तस्थ रोकड (सारणी–ज)	7590.00	
				20949623.90	बैंक में रोकड (सारणी–झ)	7547414.90	
					CSERC, Raipur TDS A/c No. (3246000100084181)	10294.00	7565298.90
					लेखाओं पर टिप्पणीयाँ (सारणी–ञ)		
					Vehicle Insurance (Prepaid)		4559.00
56876495.90	योग		84647015.90	56876495.90	योग		84647015.90

सारणी–1

(देखिये फार्म IV)

पूंजी निधी 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(i)	भूमि	-	-	-	-	-
(ii)	New office building construction (W.I.P.)	1756000.00	2,55,19000.00	27275000.00	-	27275000.00
(iii)	उपस्कर एवं जुड़नार	855761.00	900.00	856661.00	63981.00	792680.00
(iv)	यंत्र एवं उपकरण	1330960.00	275530.00	1606490.00	109730.00	1496760.00
(v)	एन्टिवायरस साफ्टवेयर 3 वर्ष हेतु	28805.00	-	28805.00	14372.00	14433.00
(vi)	मोटर गाड़ी	851284.00	-	851284.00	67207.00	784077.00
(vii)	पुस्तक एवं प्रकाशन	-	16515.00	16515.00	16515.00	-
(viii)	Gifted/Donated Assets					
(ix)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					
	निवल चालू आस्तियाँ	49482285.90	1337245.00	50819530.90		50819530.90
	योग	54305095.90	27149190.00	81454285.90	271805.00	81182480.90

सारणी–2

(देखिये फार्म IV)

प्रेषण 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	राशि प्रेषित	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
(i)	सामान्य भविष्य निधि कोष एवं अन्य कार्यालय कोष (समुह बीमा योजना + सामान्य भविष्य निधि)	निरंक	187096.00	187096.00	निरंक
(ii)	अनुज्ञप्ति शुल्क	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(iii)	आयकर	निरंक	872682.00	872682.00	निरंक
(iv)	विक्रय कर/सत्कार कर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(v)	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	निरंक	188033.00	188033.00	निरंक
(vi)	गृह किराया वसूली	निरंक	7822.00	7822.00	निरंक
(vii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	निरंक	2967.00	2967.00	निरंक
	योग	निरंक	1258600.00	1258600.00	निरंक

सारणी–3

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
क.	राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
01.	प्रारंभिक शेष	निरंक	
02.	अभिदान	निरंक	
03.	अग्रिम की वसूली	निरंक	
04.	ब्याज	निरंक	
	योग		निरंक
	घटायें: अग्रिम/अंतिम देय/निवेश		
	शेषः		
ख.	निवृत्ति वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ कोष		
01.	प्रारंभिक शेष	769392.00	
02.	नया अंशदान निवृत्ति वेतन कोष		
	(i) कर्मचारी अंशदान	189520.00	
	(ii) नियोक्ता अंशदान	189520.00	
03.	सेवानिवृत्त लाभ कोष	-	
04.	ब्याज	67572.00	1216004.00
	घटायें: कुल भुगतान		400564.00
	योग		815440.00

सारणी–4

(देखिये फार्म IV)

विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	प्रेषित राशि	पुनः भुगतान	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
01.	प्रतिभूति निक्षेप	21048.00	4233.00	17700.00	-	7581.00
02.	बयाना राशि जमा	250000.00	205500.00	-	255000.00	200500.00
03.	विविध लेनदार	-				
04.	अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)					
i.	विज्ञापन एवं प्रचार (देय)	100536.00	155819.00	100536.00	-	155819.00
ii.	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार (देय)	40000.00	-	-	-	40000.00
iii.	अंकेक्षण शुल्क (देय)		20000.00			20000.00
iv.	विद्युत लोकपाल व्यय (अनुज्ञप्तिधारियों से अग्रिम प्राप्त)	64661.00	-	64661.00	-	-
v.	विद्युत लोकपाल व्यय (देय)	56339.00	27097.00		56339.00	27097.00
vi.	विद्युत एवं पानी व्यय (देय)	13723.00	16801.00	13723.00		16801.00
vii.	भाड़ा (आटो रिक्शा) देय	5969.00	6661.00	5969.00		6661.00
viii.	भाड़ा (कार) देय	44109.00	26460.00	44109.00		26460.00
ix.	अतिथि व्यय (देय)	1659.00	1425.00	1659.00		1425.00
x.	अनुज्ञप्ति शुल्क (अग्रिम प्राप्त)	500000.00		400000.00	100000.00	निरंक
xi.	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता (देय)	4305.00	8369.00	4305.00		8369.00
xii.	अवकाश नगदीकरण Leave Encashment (देय)	50091.00	241280.00	50091.00		241280.00
xiii.	अन्य कार्यालय व्यय (देय)	1900.00	2800.00	1900.00		2800.00
xiv.	अखबार/पत्र व्यय (देय)	2250.00	1727.00	1905.00		2072.00
xv.	कार्यालय भवन किराया (देय)	64210.00	54289.00	64210.00		54289.00
xvi.	वेतन एवं भत्ते (देय)	515157.00	1609572.00	515157.00		1609572.00
xvii.	सुरक्षा एवं भवन रक्षण मजदूरी (देय)	9405.00	9723.00	9405.00		9723.00
xviii.	सेमीनार, वर्कशॉप प्रबंध व्यय (देय)	16000.00		16000.00		निरंक
xix.	प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.मं. को देय)	5700.00	7800.00			13500.00
xx.	दूरभाष एवं फैक्स व्यय (देय) *	18785.00	14248.00	18785.00		14248.00
xxi.	यात्रा भत्ता (देय)	13502.00	5951.00	13502.00		5951.00
xxii.	मजदूरी (देय)	2659.00		2659.00		निरंक
xxiii.	आयकर (देय)		184947.00			184947.00
05.	व्यय न हुई अनुदान राशि शासन को प्रतिदेय					
	योग	1802008.00	2604702.00	1346276.00	411339.00	2649095.00

सारणी–5

(देखिये फार्म IV)

उपादान हेतु प्रावधान 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
01.	प्रारंभिक शेष	निरंक	
02.	चालु वर्ष में प्रावधान	निरंक	
	योगः	निरंक	
	घटायें: चालु वर्ष में भुगतान	निरंक	निरंक
01.			
02.			
03.			
	शुद्ध शेष	निरंक	निरंक

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी–क

(देखिये फार्म IV)

स्थायी आस्तियाँ 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लाक				अक्षयण की दर	अक्षयण			निवल आस्तियाँ वर्ष के अंत में	
		प्रारम्भिक	जेड़िये	Disposals	योग		प्रारम्भिक शेष 1 अप्रेल 2008 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	अंतिम शेष 31 मार्च 2009 को	गत वर्ष तक	चालू वर्ष तक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
01.	भूमि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
02.	भवन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
03.	उपस्कर एवं जुड़नार	1061954.00	900.00	निरंक	1062854.00	6%	206193.00	63981.00	270174.00	855761.00	792680.00
04.	यंत्र एवं उपकरण	1603181.00	275530.00	निरंक	1878711.00	6%	272221.00	109730.00	381951.00	1330960.00	1496760.00
05.	मोटर गाड़ी	1120112.00		निरंक	1120112.00	6%	268828.00	67207.00	336035.00	851284.00	784077.00
06.	पुस्तक एवं प्रकाशन *	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
07.	उपहार/दान सम्पत्तियाँ	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
08.	अन्य सम्पत्तियां (विनिर्दिष्ट करें)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
09.	सकल योग (1) से (8)	3785247.00	276430.00	निरंक	4061677.00		747242.00	240918.00	988160.00	3038005.00	3073517.00
10.	एन्टिवायरस साफ्टवेयर #	43118.00	निरंक	निरंक	43118.00		14313.00	14372.00	28685.00	28805.00	14433.00
11.	पूंजी क्रियमाण कार्य	1756000.00	25519000.00	निरंक	27275000.00		निरंक	निरंक	निरंक	1756000.00	27275000.00
12.	महा योग (9+10)	3828365.00	276430.00	निरंक	4104795.00		761555.00	255290.00	1016845.00	3066810.00	3087950.00
13.	गत वर्ष	3515207.00	313158.00	निरंक	3828365.00		526354.00	235201.00	761555.00	2988853.00	3066810.00

*	पुस्तक एवं प्रकाशन	71010.00	16515.00	निरंक	87525.00	निरंक	71010.00	16515.00	87525.00	निरंक	निरंक

देखिये सारणी–ञ की टीप 4

सारणी–ख

(देखिये फार्म IV)

निवेश 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण					राशि (रू.)	राशि (रू.)
01.	बैंक में स्थायी जमा						
i.	प्रारंभिक शेष					30000000.00	
ii.	किया गया निवेश					30995874.00	
iii.	निवेश का नगदीकरण					20000000.00	
iv.	अंतिम शेष						40995874.00
					योग	40995874.00	40995874.00
02.	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र पर निवेश/अन्य प्रतिभूति (विनिर्दिष्ट करें)						
(अ)	प्रारंभिक शेष					निरंक	निरंक
(ब)	किया गया निवेश						
(स)	निवेश का नगदीकरण						
(द)	अंतिम शेष						
					योग	निरंक	निरंक
03.	बैंकों के नाम लिखें						
i.	राशि का विवरण:	10000000	10000000	10995874	1000000		
ii.	जमा की तारीख :	22.08.08	28.06.07	07.07.08	22.08.08		
iii.	जमा की समयावधि:	1 वर्ष	1 वर्ष 11 माह 23 दिन	1 वर्ष	1 वर्ष		
iv.	देय तिथी :	22.08.09	23.06.09	07.07.09	22.08.09		
v.	ब्याज दर:	10.85%	9.5%	9.75%	11%		
vi.	ब्याज:	676016/-	1798025/-	805687/-	611327/-	3891055.00	3891055.00
					योग	3891055.00	3891055.00
					कुल योग (1+2+3)	44886929.00	44886929.00

सारणी–ग

(देखिये फार्म IV)

आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
क.	आकस्मिक अग्रिम				
(अ)	के.लो.नि.विभाग को अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ब)	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान को अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(स)	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(द)	अन्य अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	उप–योग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ख.	कर्मचारियों को अग्रिम				
(अ)	गृह निर्माण अग्रिम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ब)	Grain Advance	निरंक	6000.00	निरंक	6000.00
(स)	Festival Advance	निरंक	3000.00	निरंक	3000.00
(द)	अन्य अग्रिम (यात्रा अग्रिम)	10894.00	606265.00	589599.00	27560.00
	उप–योग	10894.00	615265.00	589599.00	36560.00
ग.	अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(अ)	गृह निर्माण मंडल को अग्रिम (कार्यालय भवन निर्माण हेतु)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
(ब)	विद्युत लोकपाल के व्यय (अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्य)	-64661.00	570075.00	निरंक	505414
	योग	-53767.00	1185340.00	589599.00	541974.00

सारणी–घ
(देखिये फार्म IV)
निक्षेप 31 मार्च 2009
(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वापसी	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
01.	प्रतिभूति निक्षेप	4320.00	निरंक	निरंक	4320.00
02.	बयाना राशि निक्षेप	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
03.	अन्य निक्षेप	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	योग	4320.00	निरंक	निरंक	4320.00

सारणी–ड़
(देखिये फार्म IV)
भविष्य निधि 31 मार्च 2009
(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
A.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि प्रारंभिक शेष	निरंक	
	जोड़िये: चालु वर्ष मे किये गये निवेश घटाईये: निवेश का नगदीकरण	निरंक	निरंक
B.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग	निरंक	निरंक

सारणी–च
(देखिये फार्म IV)
विविध देनदार 31 मार्च 2009
(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
क.	छ.ग.रा.वि.मं की ओर से सामानांतर प्रक्रिया हेतु सलाहकारीता शुल्क का भुगतान	327000.00	883787.00	निरंक	1210787.00
B.	Income Tax (Receivable) from SBI against FDR		70198.00		70198.00
	योग	327000.00	953985.00	निरंक	1280985.00

सारणी–छ

(देखिये फार्म IV)

अनुदान प्राप्य 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)	राशि (रू.)
A.	छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान प्रारंभिक शेष जोड़िय: चालू वर्ष में किये गये दावे घटाईये: चालू वर्ष में प्राप्त अनुदान	 16000000.00 16000000.00	 निरंक
	योग	निरंक	निरंक

सारणी–ज

(देखिये फार्म IV)

हस्तस्थ रोकड़ 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)
01.	वेतन	निरंक
02.	यात्रा भत्ता	निरंक
03.	आकस्मिक	निरंक
04.	कार्यालय व्यय	7418.00
05.	अन्य (विद्युत लोकपाल) (विद्युत लोकपाल खुदरा रोकड़)	172.00
	योग	7590.00

सारणी–झ

(देखिये फार्म IV)

बैंक में रोकड़ 31 मार्च 2009

(1.4.2008 से 31.3.2009)

क्रमांक	विवरण	राशि (रू.)
01.	पंजाब नैशनल बैंक, रायपुर	6981760.50
02.	एक्सिस बैंक लिमिटेड, रायपुर	565654.40
03.	छ.ग.रा.वि.नि.आ., रायपुर स्त्रोत पर आयकर कटौती खाता क्र (3246000100084181)	10294.00
	योग	7557708.90

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -ञ

(देखिये नियम 3)

दिनाँक 31.3.2009 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणी

(1.4.2008 से 31.3.2009)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ—वार्षिक लेखा विवरण के साथ संलग्न किया जाये।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियॉ :—

1. प्रारंभिक शेष को दिनांक 31 मार्च 2008 के तुलन पत्र के आधार पर लिया गया है जो आयोग द्वारा प्रमाणित है।
2. आयोग के लेखाओं को लेखांकन की उदित लेखांकन विधि से तथा एतिहासिक लागत मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है।
3. आयोग के लेखाओं का लेखांकन वाणिज्यिक लेखांकन पद्धति के आधार पर किया गया है।
4. 31 मार्च 2009 की स्थिति में हस्तस्थ रोकड़ का मिलान किया गया है जो आयोग द्वारा प्रमाणित है।
5. स्थायी आस्तियों के मूल्य अधिग्रहण में से ह्रास को कम करके दिखाया गया है।
6. स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा मूल्यह्रास विधि से परिकलित किया गया है। मूल्यह्रास, आस्ति का 90% लागत पर परिकलित किया गया है (10% लागत आस्ति का निस्तारण मूल्य मानी गई है)। आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता आयु निम्नानुसार मान्य की गई है।

क.	आस्ति का नाम	लागत का प्रतिशत जो उपयोगी आयु में मूल्यह्रास हेतु लिया गया है।	अनुमानित उपयोगी आयु (वर्ष में)	मूल्यह्रास की वार्षिक दर
1.	भवन	90%	60	90÷60= 1.5%
2.	उपस्कर एवं जुड़नार	90%	15	90÷15=6.0%
3.	यंत्र एवं उपकरण	90%	15	90÷15=6.0%
4.	मोटर गाड़ी	90%	15	90÷15=6.0%

वित्तीय वर्ष के दौरान 30 सितम्बर के पश्चात क्रय की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास,उपरोक्त दरों की आधी दर से परिकलित किया गया है।

7. पुस्तकों एवं प्रकाशनों के क्रय को वर्ष में ही राजस्व व्यय के रूप में लिया गया है।

8. क्वीक हील एन्टी वायरस साफ्टवेयर की मियाद उसके स्थापित करने से 3 वर्ष तक की होती है। अतः वर्ष के दौरान उपयोग किये गये दिनों के अनुपात में उसका अपलेखन किया गया है।

लेखाओं पर टिप्पणी :–

1. आयोग की आय एवं सम्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 289 के द्वारा संघीय करारोपण से विमुक्त रखा गया है।

2. आयोग में कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा सेवा के 5 वर्ष पूर्ण नहीं किये गये है। अतः इस हेतु मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान का प्रावधान लेखाअें में नहीं किया गया है। यद्यपि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस तरह के आकस्मिक उत्तरदायित्व का भुगतान आयोग के चालू राजस्व व्यय अथवा पूर्व संचयित अधिशेष(पूंजी लेखा) से किया जायेगा।

3. कर्मचारियों के अवकाश लेखा में उपलब्ध अर्जित अवकाश के समर्पण एवं नगदीकरण का भुगतान मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति पर देय है अतः उनके वर्तमान वेतन के आधार पर संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार मृत्यु/सेवानिवृत्ति आधार पर परिकलित किया गया है जो रू.82511 एवं रू.296445 होता है। उपरोक्त दोनो भुगतान उत्तरदायित्व में से अधिकतम को तुलन पत्र तिथि को अधिकतम आकस्मिक उत्तरदायित्व माना गया है एवं आकस्मिक प्रवृत्ति होने के कारण उनका प्रावधान आयोग के लेखा में नहीं किया गया है।

4. आयोग ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना अपनाया है। अतः इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर पेंशन भुगतान का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है।

5. में. ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा वर्ष 2008–09 के अनुज्ञप्ति शुल्क के निर्धारण हेतु रू.5.00 लाख अग्रिम जमा कराया गया था जिसमें से रू.1.00 लाख का समायोजन अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में करते हुए शेष राशि रू.4.00 लाख वापस लौटाया गया है।

6. आयोग में अन्य कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई है जिसे तुलन पत्र में दर्शाया जाना आवश्यक हो या तुलन पत्र को प्रभावित करता हो।

7. राज्य शासन से रू.1.00 करोड़ अधोसंरचना अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है जिसका उपयोग आयोग के नवनिर्माणाधीन भवन हेतु किया जा रहा है उसका का लेखांकन मानक लेखांकन 12 के अनुसार पूंजी लेखा को किया गया है। भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने पर इस राशि का लेखांकन मानक लेखांकन 12 के अनुसार पुनः किया जायेगा।

8. बैंक सावधि जमा पर ब्याज की राशि को संभूति प्रमाण पत्र के आधार पर लेखा किया गया है जबकि पूर्व वर्ष 2007–08 में अनुमानित प्राक्कलन के आधार पर लिया गया था। अंतर की राशि का समायोजन भी इस वर्ष कर दिया गया है।